कानूनी साक्षरता शृंखला - 11

साक्षर भारत

भारत सरकार की प्रमुख योजनाएं

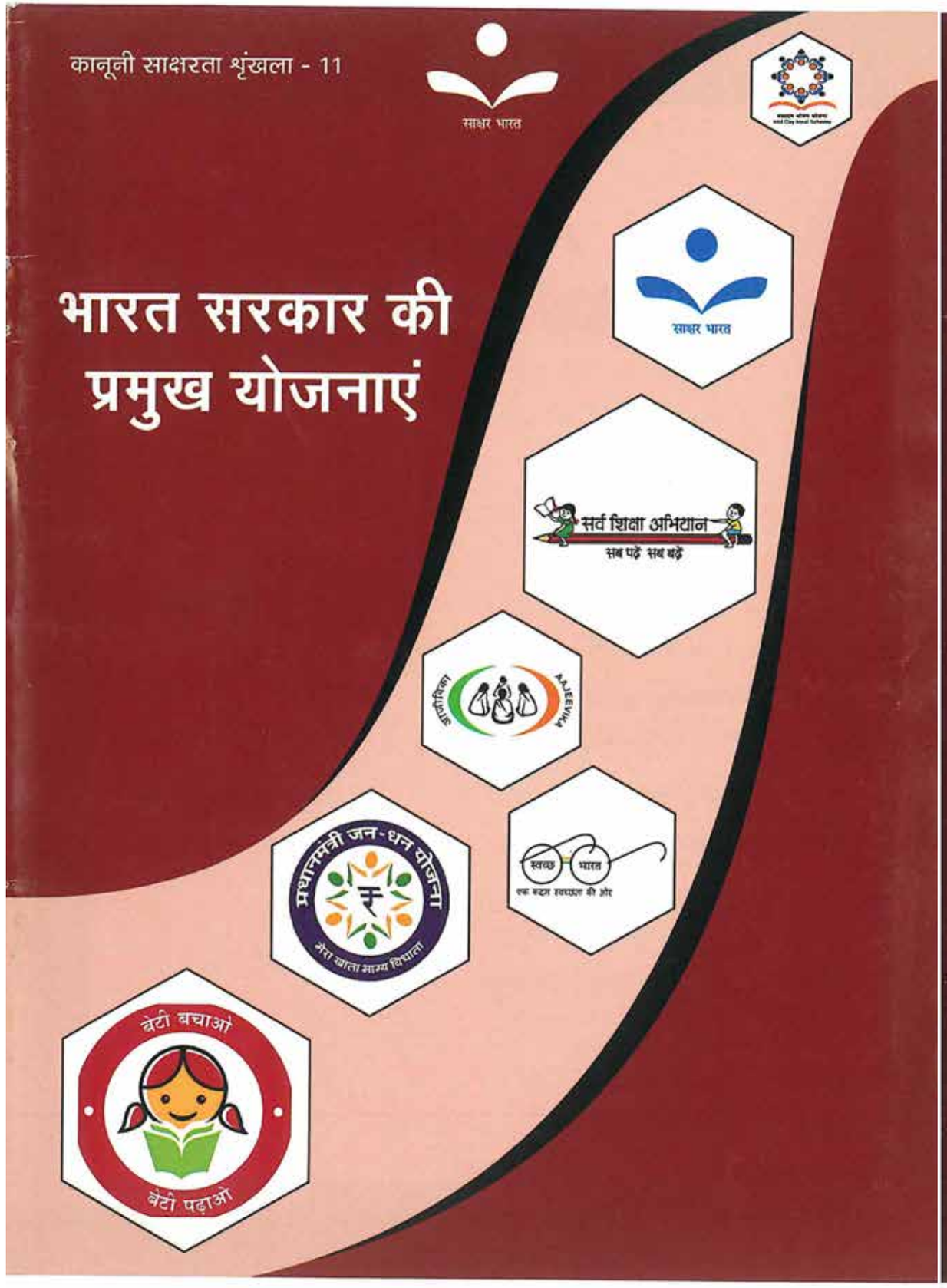

अनुक्रमणिका

क्रमांक	योजना का नाम	पृष्ठ क्रमांक
1.	बेटी बचाओ - बेटी पढ़ाओ	02
2.	प्रधानमंत्री जन धन योजना	03
3.	स्वच्छ भारत अभियान	05
4.	राष्ट्रीय साधन सह-योग्यता छात्रवृत्ति योजना	06
5.	साक्षर भारत कार्यक्रम	07
6.	जन शिक्षण संस्थान	10
7.	सर्व शिक्षा अभियान	11
8.	मध्यान्ह भोजन योजना	12
9.	राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान	14
10.	महिला समाख्या	16
11.	सबला योजना	17
12.	जननी सुरक्षा योजना	19
13.	राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन	21
14.	निःशुल्क विधिक सहायता	23

बेटी बचाओ - बेटी पढ़ाओ

भारत में पिछले कुछ सालों में स्त्री-पुरूष अनुपात असंतुलित हो गया है। देश में 1000 पुरूषों पर 943 महिलाएं हैं। इसी कारण 15 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री ने बेटी बचाओ - बेटी पढ़ाओ योजना का ऐलान किया। महिला व बाल विकास मंत्रालय इसे लागू करेगा तथा इसकी निगरानी करेगा। इसे सहयोग देंगे- स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय, स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग।

प्रमुख उद्देश्य :

- सबसे कम कन्या शिशु संख्या वाले 100 जिलों में कन्याओं की जन्म दर बढ़ाना।
- 5 साल से कम उम्र की बच्चियों की मृत्यु दर को 8 से घटाकर 5 पर लाना।
- बच्चियों को पौष्टिक आहार देना।
- शिक्षा के हर स्तर पर लड़कियों की संख्या बढ़ाना।
- 2017 तक हर स्कूल में लड़कियों के लिए शौचालय बनवाना।
- यौन उत्पीड़न से बचाने के उपाय करना।

क्या व किस प्रकार काम करेंगे :

- लोगों की सामाजिक सोच बदलने वाले कार्यक्रम लागू करना।
- संचार के साधनों की सहायता से उन जिलों व शहरों पर प्रमुखता से ध्यान देना जहाँ कन्याओं की संख्या बहुत कम है।
- पंचायतों, निगमों, समुदाय, अहिंसा दूतों तथा स्वयंसेवकों के माध्यम से लड़कियों के लिए सुरक्षित व अनुकूल वातावरण बनाना।
- शिक्षा का अधिकार, सर्वशिक्षा अभियान, छात्रवृत्ति योजनाओं आदि का सही उपयोग करना। ❑

प्रधानमंत्री जन धन योजना

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 15 अगस्त 2014 को **'प्रधानमंत्री जन धन योजना'** (पी.एम.जे.डी.वाय.) की घोषणा की थी जो वित्तीय समावेशन के सम्बन्ध में एक राष्ट्रीय मिशन है।

प्रधानमंत्री जन धन योजना के संदर्भ में प्रमुख बातें निम्नवत् हैं -

पी.एम.जे.डी.वाई. योजना के विशेष लाभ

1. जीरो बेलेन्स अकाउण्ट।
2. RuPay डेबिट कार्ड की सुविधा।
3. रुपये 1 लाख का दुर्घटना बीमा सुरक्षा।
4. रुपये 30,000 की जीवन बीमा सुरक्षा।
5. खाता खुलवाने हेतु न्यूनतम धनराशि आवश्यक नहीं।
6. खाते के 6 माह तक संतोषजनक संचालन पर ओवर ड्राफ्ट की सुविधा।

पी.एम.जे.डी.वाई. खाता कौन खोल सकता है :

- कोई भी व्यक्ति जिसकी आयु 10 वर्ष से अधिक हो खाता खोल सकता है।
- निरक्षर व्यक्ति भी खाता खोल सकता है।
- संयुक्त खाता भी खोला जा सकता है।
- जिस व्यक्ति का बैंक में पहले से खाता है।

पी.एम.जे.डी.वाई. खाता खोलने हेतु आवश्यक दस्तावेज :

- आधार कार्ड/आधार संख्या उपलब्ध है तो अन्य दस्तावेज आवश्यक नहीं है यदि पता बदल गया है तो वर्तमान पते का स्व प्रमाणन (सेल्फ सर्टिफिकेशन) पर्याप्त है।

- आधार कार्ड उपलब्ध नहीं है तो निम्नलिखित सरकारी रूप से वैध दस्तावेजों (ओ वी डी) में से किसी एक की आवश्यकता होगी - मतदाता पहचान पत्र (वोटर कार्ड), ड्राइविंग लायसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट एवं मनरेगा जॉब कार्ड यदि इन दस्तावेजों में आपका पता भी मौजूद है तो ये 'पहचान एवं पते का प्रमाण' दोनों का कार्य कर सकते हैं।
- यदि किसी व्यक्ति के पास उपुर्यक्त वर्णित वैध सरकारी कागजात नहीं है, लेकिन इसे बैंक द्वारा 'अल्प जोखिम' की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है तो वह निम्नलिखित में से कोई एक कागजात जमा करके बैंक खाता खुलवा सकता है -

  (क) केन्द्र/राज्य सरकार के विभाग, सांविधिक/नियामक प्राधिकरण, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों और लोक वित्तीय संस्थानों द्वारा जारी आवेदक का फोटोयुक्त पहचान पत्र।

  (ख) राजपत्रित अधिकारी (गजेटेड ऑफिसर) द्वारा व्यक्ति का अभिप्रमाणित फोटोयुक्त पत्र।

पी.एम.जे.डी.वाई. खाता कहां खोला जा सकता है :

- खाता किसी बैंक शाखा या व्यवसाय प्रतिनिधि (बैंक मित्र) प्रशाखा (आउटलेट) में खोला जा सकता है।
- पी.एम.जे.डी.वाई. खाता, खाता धारक के अनुरोध पर किसी शहर/नगर की बैंक शाखा में सरलता से स्थानान्तरित किया जा सकता है।
- प्रत्येक शनिवार को प्रात: 8 बजे से सायं 8 बजे तक बैंकों को कैम्प आयोजित करने के लिए कहा गया है। बैंक अन्य दिनों में भी अतिरिक्त कैम्प लगा सकते हैं। ❑

स्वच्छ भारत अभियान

भारत में एक अरब से अधिक लोग रहते हैं। हर आदमी हर दिन कई किलो कचरा बाहर फेंकते हैं जिसमें ठोस कचरा तथा द्रव कचरा शामिल है। साथ ही खुले में शौच की समस्या है। साफ-सफाई ना रखने से बीमारियां फैलती हैं इसलिए 2 अक्टूबर 2014 को प्रधानमंत्री द्वारा स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की गई।

उद्देश्य :

- खुले में शौच बंद करना/करवाना।
- फ्लश वाले शौचालय बनवाना।
- हाथ से मल उठाने/ढोने का काम बंद।
- ठोस कचरे को इकट्ठा कर सही तरीके से उसका निपटान।
- लोगों में जनभागीदारी का बोध जगाना।

सरकार के कदम :

- देशभर के 4041 वैधानिक कस्बों/ शहरों की सड़कों और बुनियादी ढांचे की सफाई की जिम्मेदारी।
- गाँवों में व गरीब शहरी घरों में शौचालय बनवाने पर 80 प्रतिशत सब्सिडी की घोषणा।
- नालियों, सोकपिट, ठोस व तरल कचरा प्रबन्धन की योजनाएँ लागू कर दी।

और क्या करना है :

- सूखे शौचालयों को पानी (फ्लश) वाले शौचालयों में बदलना।
- गाँवों में घरों में जगह न होने पर पंचायतों के द्वारा सार्वजनिक शौचालय व स्नानघर बनाना, जहाँ महिलाएँ नहाना, कपड़े धोना आदि कर सकें। ❑

राष्ट्रीय साधन सह योग्यता छात्रवृत्ति योजना

वंचित समुदायों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़े रखने हेतु 'राष्ट्रीय साधन सह योग्यता छात्रवृत्ति योजना' मई 2008 में प्रारंभ की गई थी।

उद्देश्य :

- कक्षा 8वीं में पढ़ाई बीच में छोड़ देने की दर को रोकने के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के प्रतिभाशाली बच्चों को छात्रवृत्ति प्रदान करना।
- कक्षा 12वीं तक माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक स्तर पर पढ़ाई जारी रखने के लिए प्रेरित करना।

छात्रवृत्ति का आवंटन :

- विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए छात्रवृत्ति का कोटा है।
- वे छात्र जिनके अभिभावकों की आय 1,50,000 रुपए से अधिक नहीं है छात्रवृत्ति प्राप्त करने के पात्र हैं।
- छात्रवृत्ति आवंटन में राज्य सरकार के मानकों के अनुसार आरक्षण है।
- राज्य सरकारों द्वारा आयोजित परीक्षा के माध्यम से भी छात्रवृत्ति हेतु छात्रों का चयन किया जाता है।
- छात्रवृत्तियों का आवंटन सीधे छात्रों के खातों में किया जाता है।
- राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त प्रस्तावों के अनुसार 1 जनवरी 2013 से 31 मार्च 2014 तक 159127 छात्रवृत्तियां स्वीकृत तथा प्रदान की गई हैं।

❑

साक्षर भारत कार्यक्रम

भारत सरकार द्वारा 8 सितंबर 2009, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के अवसर पर 'साक्षर भारत' का शुभारंभ किया गया। यह प्रयास इस आशा के साथ किया गया है कि हम देश में 15 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के महिला-पुरुषों में कम से कम 80 प्रतिशत साक्षरता हासिल करने का लक्ष्य प्राप्त कर सकें। साथ ही महिला तथा पुरुषों की साक्षरता के अंतर को कम से कम 10 प्रतिशत तक ला सकें।

कार्यक्रम के अंतर्गत प्रमुख रूप से ग्रामीण महिलाओं, अनुसूचित जाति तथा जनजाति एवं अल्पसंख्यक, अन्य वंचित वर्ग तथा किशोर वर्ग के युवक-युवतियों पर विशेष ध्यान केन्द्रित किया गया है। साथ ही कम साक्षरता दर वाले जिले एवं आदिवासी बहुल क्षेत्रों में कार्य को प्राथमिकता दी गई है।

कार्यक्रम के उद्देश्य :

साक्षर भारत कार्यक्रम के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कुछ उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं जो इस प्रकार हैं-

- 15 तथा अधिक आयु वर्ग के स्त्री-पुरुषों को कार्यात्मक रूप से साक्षर करना।
- नवसाक्षरों को ऐसे अवसर उपलब्ध कराना जिसके द्वारा वे बुनियादी साक्षरता हासिल करने के बाद भी सीखना जारी रख सकें तथा औपचारिक शिक्षा व्यवस्था के समतुल्यता प्राप्त कर सकें।
- अपने जीवन की दशा में सुधार करने हेतु तथा अपनी आय में वृद्धि करने हेतु नवसाक्षरों को विभिन्न कौशल प्राप्त करने में सहायता करना।
- आजीवन सीखने के अवसर प्रदान कर सीखने की ओर अग्रसर समाज की स्थापना करना।

साक्षर भारत कार्यक्रम की मुख्य विशेषताएं :

- कार्यक्रम के लाभार्थी 15 वर्ष से अधिक आयु के वयस्क असाक्षर हैं। महिला, अनुसूचित जाति/जनजाति तथा अल्पसंख्यक वर्ग के व्यक्तियों पर विशेष ध्यान केन्द्रित किया गया है।
- इस कार्यक्रम में बुनियादी साक्षरता, बुनियादी शिक्षा, कौशल विकास तथा सतत् शिक्षा कार्यक्रम साथ-साथ चलाए जा रहे हैं।
- स्वयंसेवक द्वारा पठन-पाठन के साथ-साथ अन्य तरीके जैसे- आवासीय शिविर, आवासीय अनुदेशक जैसे प्रावधान भी किए गए हैं।
- ग्राम पंचायत स्तर पर कार्यक्रम के सभी पहलुओं का क्रियान्वयन, समन्वय एवं प्रबंधन हेतु लोक शिक्षा केन्द्र स्थापित किए गए हैं।
- कार्यक्रम का क्रियान्वयन पंचायती राज संस्थाओं द्वारा किया जाना है।
- सफल शिक्षार्थियों को राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान (एनआईओएस) द्वारा प्रमाण पत्र प्रदान करने का प्रावधान है।
- सघन प्रशिक्षण, सघन मॉनीटरिंग और मूल्यांकन व्यवस्था है।

साक्षर भारत के शैक्षिक कार्यक्रम

1. बुनियादी साक्षरता कार्यक्रम :

इसके अंतर्गत 15 वर्ष से अधिक आयु समूह के असाक्षर व्यक्तियों को साक्षर करने का कार्य किया जाता है। इस हेतु 200 घंटे पठन-पाठन अवधि की प्रवेशिका तथा 100 घंटे अवधि की सेतु प्रवेशिका उपयोग में लाई जाती है।

2. बुनियादी शिक्षा कार्यक्रम :

300 घंटों की कार्यात्मक साक्षरता हासिल करने के बाद नवसाक्षर आगे पढ़ाई

जारी रख सकते हैं। नवसाक्षरों तथा स्कूल छोड़ चुके विद्यार्थियों को ऐसे अवसर प्रदान कराए जाते हैं कि वे स्कूल शिक्षा की 8वीं कक्षा के समतुल्य योग्यता हासिल कर सकें।

3. व्यावसायिक तथा कौशल विकास कार्यक्रम :

इसके अंतर्गत नवसाक्षर ऐसे व्यावसायिक कौशल प्राप्त कर सकेंगे जिनसे वे रोजगार के बेहतर अवसर पा सकें।

4. सतत शिक्षा कार्यक्रम :

इसका मुख्य उद्देश्य एक अध्ययनशील समाज की रचना करना है। नवसाक्षर हासिल की हुई साक्षरता को बरकरार रख सकें तथा साक्षरता के स्तर में वृद्धि कर सकें इस हेतु पुस्तकों, मीडिया तथा सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के उपयोग का प्रावधान है।

❑

जन शिक्षण संस्थान

जन शिक्षण संस्थान जिला स्तर पर कौशल विकास प्रशिक्षण देने का कार्य करते हैं। देश भर में 271 संस्थान स्थापित किए गए हैं। जन शिक्षण संस्थान मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा प्रायोजित हैं। संस्थान का कार्यक्षेत्र जिले के शहरी, अर्द्धशहरी, औद्योगिक क्षेत्र तथा ग्रामीण अंचलों तक है।

उद्देश्य एवं लक्ष्य समूह :

- 15 से 35 वर्ष के आयु समूह के युवाओं को अनौपचारिक व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान कर स्वावलम्बी बनाना है।
- इसका मुख्य लक्ष्य समूह शहरी/ग्रामीण जनसंख्या, विशेषकर नवसाक्षर, असाक्षर, अनुसूचित जाति-जनजाति वर्ग, महिलाएं और बालिकाएं, झुग्गी-झोपड़ियों के निवासी तथा प्रवासी कामगार हैं।

भूमिका :

संस्थान द्वारा अनेक उपयोगी व्यावसायिक कार्यक्रम जिले की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए संचालित किए जाते हैं। विभिन्न प्रशिक्षणों के लिए अलग-अलग अवधि होती है। प्रशिक्षण के बाद संस्थान द्वारा हितग्राहियों का मूल्यांकन कर उन्हें प्रमाण पत्र भी प्रदान किया जाता है।

संस्थान हितग्राहियों को स्वरोजगार स्थापित करने के लिए मार्गदर्शन भी देता है। जन शिक्षण संस्थान युवाओं को रोजगारपरक प्रशिक्षण तथा कार्यात्मक साक्षरता के माध्यम से प्रशिक्षित कर व्यक्तिगत आय एवं राष्ट्रीय आय में वृद्धि करने के लिए एक आधार स्तम्भ की भूमिका का निर्वहन करता है। ❑

सर्वशिक्षा अभियान

प्राथमिक शिक्षा के लोक व्यापीकरण हेतु वर्ष 2001 से क्रियान्वित सर्वशिक्षा अभियान में गुणवत्ता बढ़ाने हेतु सरकार ने कुछ संशोधन किए हैं -

- राष्ट्रीय पाठ्यक्रम 2005 के अनुसार पाठ्यक्रम, शिक्षकों के प्रशिक्षण व शैक्षणिक योजना व प्रबन्धन किया जाए।
- ऐसे हालात पैदा करना कि अनुसूचित जाति/जनजाति, मुस्लिम अल्पसंख्यक, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे व वंचित समुदाय के बच्चे, भूमिहीन खेतिहर मजदूर और खासतौर पर लड़कियां भी शिक्षा का लाभ उठा सकें।
- स्त्रियों की दशा में सुधार के दृष्टिकोण से पाठ्यक्रम में भी परिवर्तन हो।
- माता-पिता, शिक्षक, शैक्षणिक प्रबन्धन व अन्य लोगों पर शिक्षा के अधिकार को लागू करने के लिए नैतिक दबाव डालना।

क्या-क्या किया जा रहा है :

- शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार है।
- कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय पूरे भारत में काम कर रहे हैं जिनमें अनुसूचित जाति/जनजाति/ पिछड़ा वर्ग व अल्पसंख्यक वर्ग की लड़कियाँ रहती व पढ़ती हैं। कुल 3600 विद्यालय अभी चल रहे हैं।
- बालिकाओं के लिए माध्यमिक व उच्चतर माध्यमिक स्तर पर शिक्षा के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम चल रहे हैं।
- मध्यान्ह भोजन योजना के अंतर्गत सभी विद्यालयों में बच्चों को पौष्टिक आहार दिया जा रहा है।
- 6000 उत्कृष्ट विद्यालयों (मॉडल) की ब्लॉक स्तर पर स्थापना की योजना लागू हो गई है। ❑

मध्यान्ह भोजन योजना

गरीब व वंचित वर्ग के विद्यार्थी स्कूलों में उपस्थित रहें व उनको पौष्टिक आहार मिलता रहे इसके लिए 15 अगस्त 1995 से मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम शुरू किया गया। इसे 2008-2009 में राष्ट्रीय स्कूल मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम नाम मिला।

उद्देश्य :

- कक्षा में बच्चे भूखे पेट न रहें क्योंकि भूख के कारण वे पढ़ नहीं पाते।
- बच्चों का स्वास्थ्य बेहतर हो।
- स्कूलों में छात्रों की संख्या और उपस्थिति दोनों बढ़े।
- सामाजिक क्षमता को बढ़ाना विशेष रूप से लड़कियों को भरपेट खाना देना।
- खाना पकाने का काम महिलाओं को मिले।

भोजन में क्या-क्या हो। भोजन कैसा हो :

- 100 ग्राम अनाज।
- 50 ग्राम सब्जी।
- 450 ग्राम प्रोटीन ऊर्जा मिले।
- 12 ग्राम प्रोटीन मिले।

प्राथमिक स्तर पर और माध्यमिक स्तर पर 700 कैलोरी ऊर्जा व 20 ग्राम प्रोटीन खाने में होना चाहिए।

भोजन के अलावा अन्य लाभ :

- पेयजल की सुविधा।
- हाथ धोने की सुविधा।

- समुदाय के सहयोग से भोजन परोसने व स्वच्छता रखने का काम।
- साफ-सफाई से खाने की आदत डालना।

सरकार व अन्य एजेंसियों की जिम्मेदारियाँ :

- केन्द्र सरकार व राज्य सरकारें धनराशि देंगी।
- मातृ-स्वं सहायता समूह, नेहरू युवा केन्द्र, पंचायत, नगर निगम आदि सहयोग करें।
- केन्द्रीकृत रसोई हो जिसके लिए स्थान एंव सड़क निर्मित हो।

जरूरी मुद्दे :

- खाने की गुणवत्ता, सुरक्षा व स्वच्छता की निगरानी के लिए 2-3 लोग (एक शिक्षक) बच्चों को परोसने के पहले भोजन को चखेंगे।
- कलेक्टर द्वारा नामित अधिकारी अनाजों की गुणवत्ता को परखेंगे।

शिकायत हो तो क्या करें :

- समाज की कोई सार्वजनिक एजेंसी या लोगों का समूह मध्यान्ह भोजन योजना की लेखा परीक्षा कर सकते हैं।
- टोल फ्री नंबर से या पत्रों के माध्यम से भी शिकायत कर सकते हैं।

❑

राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान

साक्षरता को आगे बढ़ाने के लिए प्राथमिक शिक्षा के बाद माध्यमिक शिक्षा की व्यवस्था करना जरूरी है। 2009 मार्च में शुरू की गई इस योजना को 2009-10 से लागू किया गया।

उद्देश्य :

- स्कूलों में छात्रों के पंजीयन को 75 प्रतिशत तक लाना।
- माध्यमिक शिक्षा का स्तर बढ़ाना।
- एक समान शिक्षा से सामाजिक-आर्थिक विषमता व विकलांगता की बाधाएँ दूर करना।
- 2017 तक 12वीं पंचवर्षीय योजना के पूरे होने तक माध्यमिक स्तर की शिक्षा सबके लिए उपलब्ध कराना।

योजना के लाभार्थी :

यह योजना सबके लिए है किंतु विशेष रूप से निम्न कार्य किए जाएंगे -

- आश्रम स्कूलों को प्राथमिक से माध्यमिक स्तर का करना।
- अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में कक्षा 8वीं से 12वीं में पढ़ने वाली 14 से 18 वर्ष के आयु समूह की छात्राओं तथा विशेष रूप से लक्षित कमजोर वर्गों के लिए खास प्रवेश अभियान चलाना।

सरकार क्या करेगी :

- जो एजेंसी इस योजना को चलाएगी उसे केन्द्र सरकार व राज्य सरकार अपने-अपने हिस्से की धनराशि देगी।
- अतिरिक्त कक्षाएं, प्रयोगशालाएं, पुस्तकालय, कला कौशल के लिए कमरे,

शौचालय, पीने के पानी की व्यवस्था, शिक्षकों के लिए रहने की व्यवस्था।

योजना की विशेषताएं :

- विद्यार्थी-शिक्षक अनुपात 18:1 होगा। (हर 18 छात्रों पर एक शिक्षक)
- गणित, विज्ञान व अंग्रेजी पर प्रमुखता से ध्यान।
- शिक्षकों का प्रशिक्षण।
- कम्प्यूटर व सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग।
- लड़कियों के लिए अलग शौचालय।

❑

महिला समाख्या

महिलाओं की स्थिति में मूलभूत परिवर्तन लाने के लिए 1988-89 में महिला समाख्या योजना शुरू की गई थी। यह एक सतत योजना है। यह योजना राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अन्तर्गत बनाई गई जिससे कि शिक्षा की प्रक्रिया में लड़कियों की भागीदारी बढ़े।

उद्देश्य :

- ग्रामीण महिलाओं की शिक्षा की व्यवस्था व उनका सशक्तिकरण।
- महिला संघ बनाना जहां वे मिल-बैठकर आपस में विचार विमर्श करें व अवसरों का चुनाव कर सकें, विशेषत: शिक्षा, नौकरी और स्वास्थ्य के मामले में।
- परिवार, समुदाय, पंचायत और ब्लाक स्तर पर ऐसे कार्यक्रम करना जिससे लोगों में जागरूकता आए।
- बच्चे विशेषत: लड़कियां स्कूलों में रुकें, पढ़ाई पूरी करें।

योजना का क्रियान्वयन :

- अभी देश के 10 राज्यों में यह योजना चल रही है - आंध्रप्रदेश, असम, बिहार, झारखण्ड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, केरल, गुजरात, उत्तरप्रदेश, उत्तराखंड। कुल 126 जिलों के 42398 गांवों में यह कार्यक्रम चल रहा है।
- इसके लिए काम करने वाली महिलाएं सहयोगिनी कहलाती हैं जिनकी संख्या 50000 से अधिक है व इनकी पहुंच 140 लाख महिलाओं तक है।
- योजना के अंतर्गत कानूनी साक्षरता व अधिकारों की जानकारी भी महिलाओं को दी जाती है, जिससे कि वे सभी क्षेत्रों में पुरूषों के समान अवसर पा सकें।
- यह योजना मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत संचालित है।

❑

सबला योजना

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा वर्ष 2000 से देश की किशोरियों के लिए विभिन्न योजनाएं संचालित की जा रही हैं। जिनमें 11 से 18 वर्ष की किशोरियों के पोषण एवं स्वास्थ्य स्तर में सुधार करने के साथ-साथ उन्हें व्यावसायिक कौशलों में दक्ष करने तथा स्वास्थ्य, व्यक्तिगत स्वच्छता व परिवार कल्याण के विषय में जागरूक करने के प्रयास किए गए। यह योजना प्रायोगिक तौर पर देश के 200 जिलों में संचालित की जा रही है।

उद्देश्य :

- 11 से 18 वर्ष तक की स्कूल त्यागी व स्कूल जाने वाली किशोरी बालिकाओं के स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सुधार लाना।
- किशोरी बालिकाओं के जीवन कौशल, घरेलू कौशल एवं व्यावसायिक योग्यता में सुधार लाना।
- किशोरी बालिकाओं को स्वास्थ्य, पोषण, वातावरणीय एवं व्यक्तिगत स्वच्छता, शिशु देखभाल, किशोरी प्रजनन शिक्षा, लिंग भेद, तनाव प्रबंधन, घर का बजट, समय प्रबंधन जैसे विषयों के बारे में जागरुक करना।
- किशोरियों को जन उपयोगी सेवाएं जैसे- डाकघर, बैंक, पुलिस थाना, आर्थिक स्वावलम्बन गतिविधियों से परिचित कराना।
- स्कूल छोड़ चुकी किशोरियों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना।

योजना किसके लिए :

- योजना अंतर्गत चिन्हित जिलों की 11 से 14 वर्ष की शाला त्यागी किशोरी बालिकाएं एवं 14 से 18 वर्ष की समस्त किशोरी बालिकाओं को लाभान्वित किए जाने का प्रावधान है।

योजना की विशेषताएं :

- किशोरी बालिकाओं में आयरन एवं फोलिक एसिड गोलियों का वितरण करना।
- किशोरी बालिकाओं का नियमित स्वास्थ्य परीक्षण व रेफरल सेवाएं देना।
- किशोरी बालिकाओं को स्वास्थ्य एवं पोषण शिक्षा देना।
- किशोरी बालिकाओं को कानूनी अधिकार, संचार का महत्व, नेतृत्व की क्षमता का विकास आदि विषयों पर मार्गदर्शन देना।

योजना का क्रियान्वयन :

- योजना संचालन का केन्द्र बिन्दु आई.सी.डी.एस. अंतर्गत आंगनवाड़ी केन्द्र, पाठशाला, पंचायत भवन, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र आदि।
- सबला केन्द्र पर प्रति मंगलवार और शनिवार 2 से 3 घंटे सखी-सहेली व किशोरियों के समूह के साथ गतिविधियां की जाती हैं।
- किशोरी समूह का गठन एवं प्रशिक्षण।
- एक समूह में सामान्यत: 15 से 25 शाला त्यागी किशोरी बालिकाएं होती हैं।
- समूह में किशोरियां एक वर्ष के लिए 1 सखी 2 सहेली का चयन करती हैं।
- सखी सहेली आंगनवाड़ी केन्द्र संचालन एवं गतिविधियों में सहयोग करती हैं।
- तीन माह में एक बार किशोरी दिवस का आयोजन किया जाता है। उस दिन सभी किशोरियों की स्वास्थ्य जांच की जाती है तथा आयरन फोलिक एसिड की गोलियां व कृमि निवारण गोलियां किशोरियों को वितरित की जाती हैं। प्रत्येक किशोरी का एक स्वास्थ्य कार्ड होता है जिसमें उसकी जानकारी दर्ज की जाती है।
- किशोरी दिवस के दिन का उपयोग समुदाय, माता-पिता, भाई-बहन आदि को सूचना शिक्षा एवं संचार प्रदान करने के लिए किया जाता है। ❑

जननी सुरक्षा योजना

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार की कई महत्वपूर्ण योजनाएं राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन द्वारा संचालित हैं। इसके अंतर्गत कई कल्याणकारी योजनाएं संचालित की जाती हैं। उनमें से एक है जननी सुरक्षा योजना। यह योजना शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में लागू है।

उद्देश्य :

- मातृ तथा शिशु मृत्यु दर में कमी लाना।
- संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देना।

योजना किसके लिए :

- सभी ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्र की महिलाएं जो सरकारी अथवा मान्यता प्राप्त निजी अस्पताल में प्रसव कराती हैं।
- बी.पी.एल. परिवार की सभी महिलाएं जिनका घरेलू प्रसव किसी प्रशिक्षित दाई अथवा ए.एन.एम. द्वारा हुआ हो।

योजना का लाभ लेने के लिए जरूरी है :

- गर्भावस्था का पंजीयन कराना।
- सरकारी अथवा मान्यता प्राप्त निजी अस्पताल में प्रसव कराना।

योजना का लाभ :

- ग्रामीण क्षेत्र के लिए :
  - अस्पताल में प्रसव कराने पर 1400 रुपए की नगद सहायता।
  - आशा कार्यकर्ता को गर्भवती महिला की प्रसव पूर्व की सेवा एवं प्रसव के दौरान सहायता करने पर 300 रुपए।

- प्रसव के पश्चात की सेवा के लिए 300 रुपए कुल 600 रुपए की सहायता राशि दी जाती है।

शहरी क्षेत्र के लिए :

- लाभार्थी को 1000 रुपए की नकद सहायता प्रदान की जाती है।
- आशा कार्यकर्ता को गर्भवती महिला की प्रसवपूर्व की सेवा एवं प्रसव के दौरान सेवा करने पर 200 रुपए तथा प्रसव के पश्चात की सेवा के लिए 200 रुपए कुल 400 रुपए की सहायता राशि दी जाती है।

योजना का लाभ कैसे लें :

- गर्भावस्था का पता चलते ही नजदीकी आंगनवाड़ी केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तथा किसी सरकारी अथवा निजी अस्पताल में पंजीयन कराएं।
- पंजीयन के साथ अपना आधार कार्ड नंबर, बैंक खाता नंबर एवं मोबाईल नंबर देना अवश्यक है।

योजना की खासियत :

- प्रत्येक ग्राम / टोला स्तर पर आशा कार्यकर्ता उपलब्ध है।
- किसी भी समय टोल फ्री नंबर पर बात कर सहायता ली जा सकती है।
- आकस्मिकता पर वाहन उपलब्ध कराया जाएगा।

अधिक जानकारी के लिए ए.एन.एम./ आशा कार्यकर्ता, लोक शिक्षा केंद्र के प्रेरक तथा विकासखंड अधिकारी से संपर्क करें।

❑

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र के सभी गरीब परिवारों (बीपीएल परिवार) को आजीविका का स्थायी अवसर उपलब्ध करवाना है। इसके लिए उनकी क्षमता विकसित कर सम्मान के साथ जीवन यापन कर सकने के लिए सक्षम बनाना है।

उद्देश्य :

- ग्रामीण क्षेत्र के गरीब परिवारों को संगठित करना।
- कौशल विकास करना, ताकि स्व-रोजगार के लिए सक्षम हो सके।
- स्व-रोजगार के लिए ऋण एवं अन्य सहायता उपलब्ध करवाना।

योजना किसके लिए :

- व्यक्तिगत तथा स्वयं सहायता समूह की महिलाओं और पुरुषों के लिए।
- लाभार्थी बी.पी.एल. परिवार के हों।
- योजना में बी. पी. एल. परिवार शत-प्रतिशत शामिल किए जाएंगे। लाभार्थियों में 50% महिलाएं, 15% अल्पसंख्यक एवं 3% विकलांग व्यक्ति होंगे।

योजना के अंतर्गत निर्धन परिवारों को स्वयं की संस्था बनाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। गठित संस्था को सक्षम बनाने हेतु पर्याप्त वित्तीय एवं अन्य सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।

योजना का लाभ लेने के लिए जरूरी है :

- गरीबी रेखा से नीचे के परिवार हों।
- स्वयं सहायता समूह के 70 प्रतिशत सदस्य गरीबी रेखा के नीचे के हों।

योजना का लाभ :

- स्वयं सहायता समूह (जिसमें 70 प्रतिशत सदस्य बी.पी.एल परिवार के हों) को कॉरपस फंड के रूप में 10,000 रु. से 15,000 रु. प्रति स्वयं सहायता समूह दिया जाएगा।
- सामान्य श्रेणी के स्वयं सहायता समूह एवं व्यक्तिगत लाभार्थी के लिए 15,000 रु. तथा अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति श्रेणी के लिए 20,000 रु. की सब्सिडी दी जाएगी।
- समूह को अधिकतम 2.50 लाख रु. की सब्सिडी दी जाएगी।
- सब्सिडी केवल बीपीएल परिवार के व्यक्तिगत लाभार्थी एवं ऐसे समूह जिसमें कम से कम 70 प्रतिशत सदस्य बीपीएल परिवार के हों को ही दी जाएगी।
- क्षमता विकास प्रशिक्षण के लिए प्रति लाभार्थी 7500 रु. दिए जाएंगे।
- स्वयं सहायता समूह के गठन एवं विकास के लिए एन.जी.ओ. / एनीमेटर आदि को 10,000 रु. प्रति समूह दिए जाएंगे।

योजना की अन्य विशेषताएं :

- स्वयं सहायता समूह का गठन। समूह को अधिक उत्पादन हेतु ऋण, तकनीक, बाजार आदि उपलब्ध कराना।
- समूह में कुशल प्रबंधन, ऋण का उपयोग, बाजार एवं बैंकरों से संपर्क तथा उत्पादन की गुणवत्ता के लिए प्रशिक्षित करना।
- उनके पारंपरिक आजीविका के साधन को स्थाई एवं समृद्ध करना।
- ग्रामीण स्व-रोजगार प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना।

❑

नि:शुल्क विधिक सहायता

हर नागरिक को समान अवसर के साथ-साथ आसानी से न्याय भी उपलब्ध होना चाहिए। संविधान के अनुच्छेद 39-क के अनुसार कोई भी व्यक्ति आर्थिक या किसी अन्य कारण से न्याय पाने से वंचित नहीं रह सकता है। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए केंद्र, राज्य एवं जिला स्तर पर विधिक सेवा प्राधिकरणों का गठन किया गया है। राज्यों में उच्च न्यायालय के तहत तहसील स्तर तक विधिक सेवा समिति गठित हैं।

उद्देश्य :

गरीब, असहाय, पीड़ित व्यक्तियों को समस्त न्यायलयों में उनके विरूद्ध चल रहे मुकदमे के लिए नि:शुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराना।

विधिक सेवा के अन्तर्गत प्रदान की जाने वाली सेवाएं :

- वकील फीस।
- कोर्ट फीस।
- टाईपिंग, फोटोकॉपी, अनुवाद कराने में लगने वाला खर्च।
- निर्णय / आदेश तथा अन्य कागजातों की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने का खर्च।
- गवाहों से संबंधित अन्य जरूरी खर्च।

नि:शुल्क विधिक सेवा किसके लिए :

- अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के सदस्य ।
- अत्याचार के शिकार लोग या ऐसे लोग जिनसे बेगार कराई जाती है।
- महिलाएं एवं बच्चे।

- मानसिक रोगी एवं विकलांग व्यक्ति।
- आपदा, जातीय हिंसा, अत्याचार या औद्योगिक विनाश में पीड़ित व्यक्ति तथा औद्योगिक श्रमिक।
- कारागृह, मनोचिकित्सा अस्पताल, मनोचिकित्सीय परिचर्या गृह में रह रहे व्यक्ति।
- ऐसे सभी लोग जिनकी वार्षिक आमदनी 1,00,000 रुपए से अधिक नहीं है इस योजना का लाभ पाने के हकदार हैं।

विधिक सेवा प्राप्त करने का तरीका :

- विधिक सेवा प्राप्त करने के हकदार व्यक्ति विहित प्रपत्र अथवा सादे कागज पर अपना नाम, पता, जाति एवं आय संबंधी जानकारी भरें।
- मुकदमे का विवरण भरें।
- आवेदन पत्र के साथ आय प्रमाण-पत्र, फोटो पहचान पत्र की फोटो कॉपी संलग्न कर सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अथवा राज्य उच्च न्यायालय विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव के कार्यालय में आवेदन जमा कराएं।

अधिक जानकारी के लिए अपनी ग्राम पंचायत के अंतर्गत लोक शिक्षा केंद्र के प्रेरक, तहसील विधिक सेवा समिति एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से संपर्क करें।

❑

कानूनी साक्षरता शृंखला पुस्तिकाएं

शीर्षक	शृंखला क्रमांक
◆ **आंखे खुल गईं** (भारतीय नागरिकों के अधिकार एवं कर्तव्य)	1
◆ **और बात बन गई** (गर्भधारण एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन निषेध) अधिनियम 1994 व संशोधित 2003)	2
◆ **रमा की पाठशाला** (शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009)	3
◆ **गरिमा का सवाल** (यौन हिंसा के विरुद्ध कानून 2013)	4
◆ **दहेज परंपरा नहीं अभिशाप** (दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961)	5
◆ **आशा की किरण** (घरेलू हिंसा से संरक्षण 2005)	6
◆ **अब कोई भूखा न रहे** (खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013)	7
◆ **अत्याचार का अंत** (अनुसूचित जाति-जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989)	8
◆ **रमेश को मिला न्याय** (नि:शुल्क विधिक सहायता)	9
◆ **हमारे जंगल - हमारी धरोहर** (अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008)	10
◆ **भारत सरकार की प्रमुख योजनाएं**	11

साक्षर भारत

राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण
स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय
भारत सरकार, नई दिल्ली 110001
वेबसाइट : www.mhrd.gov.in, www.Mygov.in